

(151)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष:-श्री एस0 एस0 अली  
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4172-तीन/2014 के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 24-06-2014 के द्वारा तहसीलदार तहसील श्यामपुर जिला-सीहोर के प्रकरण क्रमांक 46/अ-12/2013-14.

इस्माईल खां आत्मज रसूल खां  
निवासी व कृषक ग्राम मरहेडी तहसील  
श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0

--- आवेदक

विरुद्ध

फारूख खां आत्मज करामत खां  
निवासी व कृषक ग्राम मरहेडी तहसील  
श्यामपुर जिला सीहोर म0प्र0

--- अनावेदक

.....  
श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक  
श्री जे0 पी0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 16/8/17 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील श्यामपुर जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.6.2014 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2- प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदक फारूख खां आत्मज करामत खां निवासी कृषक ग्राम मरहेटी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर भूमि सर्वे क्रमांक 101/2/1 रकबा 8.37 एकड़ अर्थात् 3.387 है0 का प्रकरण क्रमांक 44/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 24.6.14 से सीमांकन कराया था, इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

//2// प्रकरण क्रमांक निगरानी 4172-तीन/2014


3- आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि तहसील श्यामपुर जिला सीहोर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 101/1/2, 129क, 182/98/1, कुल कित्ता 3 रकबा 43.57 एकड़ भूमि आवेदक एवं मेहबूब खां के नाम से संयुक्त से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, जिसमें आवेदक का हिस्सा 8 पैसे था जो रकबा 4 एकड़ होता है। आवेदक का रकबा 4 एकड़ पर कब्जा उपरोक्त तीनों नम्बर के अंश भाग पर मिलाकर पूर्ण होता है। जब उक्त भूमि के बटवारे के संबंध में प्रार्थी ने सहमति दी तो प्रार्थी ने मौके पर कब्जे की स्थिति के अनुसार ही बंटवारा किये जाने की सहमति दी थी, किन्तु संबंधित पटवारी ने प्रार्थी के हिस्से का संपूर्ण 4 एकड़ रकबा खसरा क्रमांक 182/98/1, में से दे दिया इसके संबंध में जानकारी आवेदक को अनावेदक द्वारा कराये गये सीमांकन के द्वारा हुई है। अपने तर्क में आगे कहा गया है कि अनावेदक द्वारा कराये गये आलोच्य सीमांकन में आवेदक का कब्जा भूमि खसरा क्रमांक भूमि 101/2/4 रकबा 0.700 है० पर बताया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया है कि आवेदक के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया उस समय आलोच्य आदेश सीमांकन की जानकारी हुई। आगे अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि का सीमांकन किये जाने के पूर्व आवेदक को किसी तरह का कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया है। सूचना पत्र में मात्र प्रार्थी का नाम दर्शा दिया गया है, पंचनामे में यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी ने सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया, जबकि प्रार्थी को कोई सूचना पत्र ही नहीं दिया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी अपने तर्क में कहा है कि तहसीलदार ने अपना आलोच्य आदेश पारित किये जाने के पूर्व इस ओर ध्यान नहीं दिया कि सीमांकन के संबंध में सूचना आवेदक पर विधिवत तामील नहीं की गई है। संपूर्ण सीमांकन की कार्यवाही आवेदक की अनुपस्थिति में की गई है, ऐसी दशा में की गई सीमांकन की कार्यवाही अवैध अवैधानिक है, इसलिये विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.6.14 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4- अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि हल्का पटवारी ने विधिवत आवेदक को एवं मेढ़ पड़ोसियों को सूचना पत्र सीमांकन दिनांक को स्थल पर उपस्थित होने का जारी किया, हल्का

//3// प्रकरण क्रमांक निगरानी 4172-तीन/2014

पटवारी ने विधिवत आवेदक की उक्त कृषि भूमि का सीमांकन पंचो के समक्ष दिनांक 24.6.14 को आवेदक तथा पंचो के समक्ष सीमांकन कर चर्तुसीमाएं नापकर आवेदक को बताई, सीमांकन के पश्चात आवेदक के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 101/2/1 के भाग 0.700 है0 पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि हल्का पटवारी नम्बर -8 इंचार्ज एवं हल्का पटवारी नम्बर- 13 द्वारा उक्त सीमांकन किया गया था सीमांकन के पश्चात सीमांकन दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किये। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील श्यामपुर जिला सीहोर का आदेश दिनांक 24.6.14 उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5- उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर सूचना पत्र दिनांक 20-6-14 को जारी किया गया है जिसमें अब्दुल अली खां तनय समद खां, दाउद खां आत्मज करामत खां, एवं सर्व साधारण ग्राम मरहेटी को जारी किया गया है। आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि, सूचना पत्र में केवल नाम दर्शाया गया है सूचना नहीं दी जबकि पंचनामा दिनांक 24-6-14 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस्माईल खां द्वारा सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया गया। इससे स्पष्ट है कि उनको सूचना थी और सूचना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। अतएव तहसीलदार तहसील श्यामपुर जिला-सीहोर के प्रकरण क्रमांक 44/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 24-6-14 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

  
(एस0 एस0 अली)

सदस्य  
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश  
ग्वालियर